(iii) वह अवधि जिसके लिए ऐसे अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क को जारी रखा जाना आवश्यक है; और

(ख) संबंधित सार्वजनिक इकाई को:

(i) उस सार्वजनिक संपत्ति की पहचान करने के लिए जिस पर ऐसे अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना की जा सकती है; और

(ii) ऐसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सुविधा प्रदाता को आवश्यक मार्ग के अधिकार की अनुमति प्रदान करना।

(4) प्राधिकृत इकाई और सार्वजनिक इकाई ऐसे अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना को आरम्भ करने के लिए उप-नियम (3) के अधीन विनिर्दिष्ट संबंधित निर्देशों का अनुपालन करेगी और सुविधा प्रदाता ऐसे निर्देशों के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के लिए इसे जारी रखेगा।

(5) यदि सुविधा प्रदाता उप-नियम (3) के अधीन निर्देशों के अनुसार स्थापित अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग ऐसे निर्देशों में विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक करना चाहता है तो उसे ऐसे उपयोग के लिए सार्वजनिक इकाई की अनुमति लेनी होगी और नियम 8 एवं नियम 9 के उपबंध *यथोचित परिवर्तनों* सहित लागू होंगे।

(6) अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट अस्थायी ओवरग्राउंड दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक इकाई द्वारा किसी भी रूप में कोई शुल्क प्रभार, किराया, वार्षिकी या कोई बैंक गारंटी या अन्य वित्तीय उद्ग्रहण या योगदान या मुआवजा नहीं लिया जाएगा।

11. स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग।-(1)किसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के प्रयोजन के लिए सुविधा प्रदाता अनुमति प्राप्त करने के लिए पोर्टल के माध्यम से संबंधित सार्वजनिक इकाई जिसके पास ऐसी सार्वजनिक संपत्ति पर स्वामित्व,नियंत्रण या प्रबंधन है, को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ:

(क) दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) के अधीन प्राधिकरण की एक प्रति, या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया अनुज्ञप्ति, या ऐसे प्राधिकरण या अनुज्ञप्ति से छूट, जैसा भी लागू हो;

(ख) स्ट्रीट फर्नीचर का विवरण; और

(ग) सार्वजनिक इकाई द्वारा प्राधिकृत संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा सत्यापण की एक प्रति जो स्ट्रीट फर्नीचर की संरचनात्मक सुरक्षा को प्रमाणित करती है जिस पर छोटे सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना प्रस्तावित है।

(2) सुविधा प्रदाता,अपने विकल्प पर उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट जानकारी के साथ एकल या एकाधिक साइटों के लिए स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइनों की स्थापना के लिए पोर्टल के माध्यम से एकल आवेदन प्रस्तुत कर सकता है और सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर एकल या एकाधिक,जैसा भी मामला हो,अनुमति जारी करेगा।

(3) अनुसूची के भाग-1 में यथा विनिर्दिष्ट उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन आवेदन पर किसी भी रूप में कोई शुल्क,प्रभार, किराया, वार्षिकी या कोई अन्य वित्तीय उद्ग्रहण, बैंक गारंटी या अन्य वित्तीय अंशदान या मुआवजा नहीं लिया जाएगा।

(4) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक इकाई:

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर पोर्टल के माध्यम से कोई भी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज जैसा कि अपेक्षित हो कि मांग करें:

परंतु सार्वजनिक इकाई ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, तो एक समेकित मांग में मांगेगी; और

(ख) आवेदन प्राप्त होने की तारीख से सड़सठ दिनों की अवधि के भीतर अनुमति दी जाएगी अथवा उप-नियम (5) और उप-नियम (6) में विनिर्दिष्ट रीति से कार्यवाही की जाएगी।

(5) यदि सार्वजनिक इकाई के पास उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अधीन किए गए आवेदन को अस्वीकार करने का कारण है तो वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर ऐसे कारण अपलोड करेगी और सुविधा प्रदाता ऐसे कारणों के संदर्भ में पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल पर उत्तर दे सकता है।

(6) सार्वजनिक इकाई उप-नियम (5) के अधीन सुविधा प्रदाता के प्रत्युत्तर पर समुचित विचार करने के पश्चात् आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का विनिश्चय कर सकती है और उसे पोर्टल पर अपलोड कर सकती है:

परंतु अनुमति को अस्वीकार करने वाले किसी भी विनिश्चय में अस्वीकृति के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

(7) यदि सार्वजनिक इकाई उप-नियम (4) के अधीन अनुमति देने में विफल रहती है या उप-नियम (6) के अधीन आवेदन को अस्वीकार करती है तो ऐसा माना जाएगा कि अनुमति प्रदान कर दी गई है और ऐसे सिस्टम द्वारा सृजित मानद अनुमति स्वतः ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी;

(8) सार्वजनिक इकाई स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए स्ट्रीट फर्नीचर के उपयोग के लिए अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट राशि सुविधा प्रदाता से मुआवजे के रूप में प्राप्त करने की हकदार होगी।

(9) सार्वजनिक इकाई अपने स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन भवनों और अवसंरचनाओं या अन्य सार्वजनिक संपत्ति पर स्मॉल सेल की संस्थापना की भी अनुमति देगी और अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्टानुसार ऐसी संस्थापना के लिए कोई प्रशासनिक शुल्क या मुआवजा नहीं लेगी:

परंतु सार्वजनिक इकाई द्वारा ऐसे स्मॉल सेल के संबंध में बिजली की खपत और फिक्स्चर के संबंध में वास्तविक रूप से शुल्क लगाया जाएगा।

(10) सुविधा प्रदाता सार्वजनिक इकाई के विकल्प पर या तो स्मॉल सेल की संस्थापना के दौरान संपत्ति को हुए किसी भी नुकसान को पुनःस्थापित करेगा या पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर किसी भी ऐसे नुकसान के लिए मुआवजा देगा।

(11) इस नियम के अधीन दी गई किसी अनुमति के अनुसरण में कार्यों के निष्पादन के लिए विनिर्दिष्ट समय-सीमा सार्वजनिक इकाई द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किसी भी अप्रत्याशित घटना की अवधि तक बढ़ाई जाएगी।

अध्याय 4

सार्वजनिक संपत्ति पर भूमि के ऊपर और भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क दोनों के लिए लागू उपबंध

12. विशेष परियोजनाओं के लिए दूरसंचार नेटवर्क हेतु मार्ग का अधिकार- (1) केन्द्रीय सरकार लोकहित में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए कतिपय परियोजनाओं को विशेष परियोजनाओं के रूप में अधिसूचित कर सकती है जिनके संबंध में मार्ग के अधिकार का अनुमोदन इस नियम द्वारा शासित होगा।

(2) नियम 7 के उप-नियम (1) अथवा नियम 9 के उप-नियम (1) अथवा नियम 11 के उप-नियम (4) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचित विशेष परियोजना के संबंध में:

(क) नियम 6 के उप-नियम (1) के अधीन भूमिगत दूरसंचार नेटवर्क अथवा नियम 8 के उप-नियम (1) के अंतर्गत भूमि के ऊपर दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना अथवा नियम 11 के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन स्मॉल सेल और दूरसंचार लाइन की स्थापना के लिए मार्ग के अधिकार के लिए आवेदन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकृत माना जाएगा और ऐसे सिस्टम द्वारा सृजनित मानद अनुमति स्वतः ही पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी;

(ख) नियम 6 के उप-नियम (1) अथवा नियम 8 के उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (2) के अधीन आवेदनों के संबंध में सार्वजनिक इकाई ऐसे आवेदन की तारीख से सात दिनों की अवधि के भीतर पोर्टल के माध्यम से ऐसे

case may be.

(3) No fee, charge, rent, annuity, or any other financial levy, bank guarantee or other financial contribution or compensation in any form, shall be levied on an application under sub-rule (1) or sub-rule (2) as specified in Part-1 of the Schedule.

(4) Upon examination of an application received under sub-rule (1) or sub-rule (2), the public entity may-

(a) seek clarifications or further documents as may be required, through the portal, within a period thirty days from the date of receipt of such application:

Provided that the public entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and

(b) grant permission within a period of sixty-seven days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (5) and sub-rule (6).

(5) Where the public entity has reasons to reject the application made under sub-rule (1) or sub-rule (2), it shall upload, within a period of forty-five days from the date of receipt of the application, such reasons on the portal and the facility provider may respond to such reasons on the portal within a period of fifteen days therefrom.

(6) The public entity may, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (5), decide to either accept or reject the application, and upload the same on the portal:

Provided that any decision rejecting the permission shall record the reasons for rejection in writing.

(7) If the public entity fails to either grant permission under sub-rule (4) or reject the application under sub-rule (6), the permission shall be deemed to have been granted, and such system generated deemed permission shall automatically be uploaded on the portal.

(8) The public entity shall be entitled to receive compensation from the facility provider, the amount specified in Part-3 of the Schedule for use of street furniture for installation of small cells and telecommunication line.

(9) The public entity shall also permit the deployment of small cells on buildings and structures or other public property under its ownership, control or management, and shall charge no administrative fee or compensation for such deployment, as specified in Part-3 of the Schedule:

Provided that charges shall be levied by the public entity in respect of power consumption and fixtures in respect of such small cells, as per actuals.

(10) The facility provider shall, at the option of the public entity, either restore any damage done to the property during deployment of small cells or pay compensation for any such damage, on the terms as may be mutually agreed.

(11) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any *force majeure* event as may be notified by the public entity in this behalf.

CHAPTER IV

PROVISIONS APPLICABLE FOR BOTH OVERGROUND AND UNDERGROUND TELECOMMUNICATION NETWORK IN PUBLIC PROPERTY

12. Right of way for telecommunication network for special projects. – (1) The Central Government may, in public interest, notify certain projects for the establishment of telecommunication network as special projects, the grant of right of way in respect of which, shall be governed by this rule.

2. Notwithstanding anything stated in sub-rule (1) of rule 7 or sub-rule (1) of rule 9 or sub-rule (4) of rule 11, in respect of a special project notified under sub-rule (1),-

(a) Permission pursuant to an application for right of way for the establishment of underground telecommunication network under sub-rule (1) of rule 6, or overground telecommunication network sub-rule (1) of rule 8, or installation of small cells and telecommunication line under sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 11, shall be deemed to have been granted upon the submission of the application in the portal and such system generated deemed permission shall automatically be uploaded on the portal;

(b) in respect of applications under sub-rule (1) of rule 6 or under sub-rule (1) of rule 8, the public entity shall, within a period of seven days from the date of such application, generate through the portal the terms and